"लिच्छवी संविधान"

Mandip kumar chaurasiya

Assistant professor(Guest)

Dept. of A.I.H. & Archaeology

Patna university, patna-800005

M.A. Semester - III

Paper/CC – 13 Religion Philosophy & Political Administration of Ancient India

लिच्छवी संविधान का अट्ट कथा(Attha katha) में उल्लेख है| इसमें तीन उच्च अधिकारियों का उल्लेख है - राजा या राष्ट्रपति, उप-राजा या उप-राष्ट्रपति और सेनापति| एक जातक में भी वित्त मंत्री या भांडागारिक(Bhandagarika) का उल्ल्लेख मिलता है| कहने का अर्थ है कि इन चारों उच्च अधिकारियों से ही लिच्छियों का मंत्रिमंडल बनता था| जिनका मुख्यालय वैशाली में था| अनेक इतिहासकार लिच्छिवियों के शासन व्यवस्था के बारे विभिन्न-विभिन्न मत देते है| इस पर डॉ० के०

पी० जायसवाल का कथन है कि यहाँ पर शासन यहाँ के निवासी ही करते थे| जिनकी संख्या 7707 थी| ये सभी शासन करने के अधिकारी थे| ये राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, मुख्य सेनापति और वित्तमंत्री बनते थे| संभवतः कहने का तत्यपर्य है कि 7707 निवासी, संभवतः मूल परिवारों के सदस्य शासक वर्ग में शामिल थे| वे ही पदाधिकारी बना करते थे| पूर्ण जनसंख्या 1,68,000 थी| राजा (शासक गण) को राजतिलक देकर पवित्र किया जाता था| ललित विस्तार में लिखा है कि प्रत्येक अपने को राजा समझता था, वे लोग अपने आप को कहते थे कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ कोई किसी का अनुयायी नहीं बनता हैं|

डॉ० आर० के० मुखर्जी के कथनानुसार आंतरिक रूप में गणराज्य की शासक-संस्था में वैशाली के 7707 राजा वैशाली के नागरिक होते थे| उनको 84,000 की दुगनी जनसंख्या अर्थात 1,68,000 चुनते थे| उनमे अनेक उप-राजा, उप-नेता, सेनापति, जनरल, भंडारिक, कोषाध्यक्ष तथा लोकतांत्रीय संस्था के सदस्य होते थे| कौटिल्य ने भी राजाओं पर आधारित संघों का उल्लेख किया है| संभवतः इन राजाओं में से प्रत्येक अपने-अपने क्षेत्र में शासक होगा| उनके अपने अधिकारी और खजाना

होगा और इस प्रकार से 7707 सदस्यों की सभा संघीय सभा होगी जिसमे वज्जी संघ की सम्पूर्ण जनसंख्या के निर्वाचक परिवारों के प्रतिनिधि शामिल होतें होंगें|

लिच्छवियों के विदेशी मामलों की देखभाल 9 लिच्छवियों की एक समिति करती थी| न्यायिक प्रशासन 8 सदस्यों की परिषद् संभालती थी| अतातुलक न्याय का सर्वोच्च न्यायालय था और न्याय के कुशल प्रशासन के हेतु विषय के विशेषज्ञ रखे जाते थे| जब वैशाली के नागरिक कानून के भवन में आते थे तो ढ़ोल-नगाड़े बजाये जाते थे| यहाँ पर राजनितिक, सैन्य, वाणिज्यिक या कृषि सम्बन्धी मामलों पर विचार-विमर्श होता था| कभी-कभी लिच्छवी गण कोई अधिवेशन काल में किसी व्यक्ति को विशिष्ठ सदस्य नियुक्त करता था और जो महत्वपूर्ण सन्देश देने के लिए विशेष दूत भी नियुक्त करता था|

लिच्छवी संविधान में राजा या राष्ट्रपति सर्वोच्च अथोरिटी था| जनता की स्वतंत्रता की रक्षा करना प्रमुख उद्देश्यों में एक था| किसी भी नागरिक को तब तक अपराधी नहीं माना जाता था जब तक राजा,

उपराजा और सेनापति अलग-अलग उस मामले की जाँच करने के बाद कोई निर्णायक निर्णय पर नहीं पहुँच जाये और जो भी नयायालय में मुकदमा से सम्बंधित बाते होती थी उन सभी का रिकार्ड भी रखा जाता था|

जैसा की विदित होता है कि विभिन्न अवसरों पर लिच्छवियों ने मल्लों और विदेहों से मिलकर एक संघ का निर्माण किया| इनके संघ के संघीय सभा में 18 सदस्य थे जिनमे मल्लों और लिच्छवियों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया और इनके संघीय सभा के सदस्यों को गण या राजा की पदवी मिला कराती थी| डॉ० जायसवाल के कथनानुसार संघ समानता की शर्तों पर आधारित था| लिच्छवियों के सामान मल्ल राजनितिक रूप से लिच्छवियों से कम शक्तिशाली थे लेकिन संघीय सभा में दोनों को सामान अधिकार प्राप्त थे|